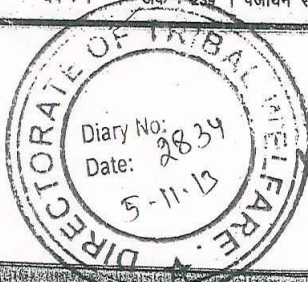


अंडमान एक्सप्रेस

सब का आईना

वर्ष : 7 | अंक : 239 | पंजीयन सं. RNI - ANDHIN/2007/21285 | पोर्ट ब्लेयर | बुधवार | 30 अक्टूबर 2013 | मूल्य : ₹ 2/-



मु.स. का गोपनीय अनुभाग
CS's Confidential Cell
सा.सं. सं./RD No. 6903
दिनांक/Date 31/10/13

आदिवासी युवतियों के वीडियो के मामले के उजागर से मचा हड़कम्प - जांच कमेटी गठित

पोर्ट ब्लेयर 30 अक्टूबर। द्वीप में पिछले कई सालों से अश्लील वीडियो फिल्मों का मांगता प्रकाश में आता रहा है। परन्तु आज तक इस संबंध में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।

इस अश्लील वीडियो फिल्म के चलते कई परिवार बर्बाद तक हो चुके हैं। परन्तु अभी हाल ही में एक स्थानीय साप्ताहिक पत्र ने इस संबंध में खबर प्रकाशित किया, जिसमें जनजाति युवतियों के अश्लील वीडियो के मामले को प्रकाश में लाए जाने के चलते उप राज्यपाल के निर्देश के चलते इस पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे प्रकरण में कुछ

अपराधिक मानसिकता स्तर के लोगों का एक संगठित गिरोह इस प्रकार के कार्य में लिप्त है जो कि भोली-भाली युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं फिर उसके बाद उन्हें की अश्लील वीडियो ग्राफी करके सीडी को बाजारों में बेचते हैं।

अब जरूरत इस बात की है कि स्थानीय पुलिस को चाहिए कि सबसे पहले शहर के जितने भी सीडी और वीडियो ग्राफी से संबंधित दुकानदार हैं उनसे कड़ी पूछताछ की जाए और इस मामले में जो भी अपराधी पाया जाता है, उसे कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए।

इस बीच इसी संबंध में अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार पोर्ट ब्लेयर की केन्द्रीय

अपराध शाखा की पुलिस थाना में 26 अक्टूबर 2013 को आईटी (अमेडमेट) एक्ट 2008 की धारा 67ए में पड़ी जाने वाली सारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत अपराध संख्या 702/13 के द्वारा नियमित अपराधिक

है। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक सीआईडी के पुलिस उप अधीक्षक को जांच का जिम्मा सौंपा गया है।

गौरतलब है कि मानव शक्ति वीडियोज ऑफ द्राइवबल गैलरी में नए दैन दि-सिटी

एडमिनिस्ट्रेशन कौंट नेपिंग शीपक से विशिष्ट अखबार में छपी खबर की वास्तविकता जानने के लिए जांच अधिकारी को सहयोग देने के वास्ते विशेष जांच दल का गठन किया गया है। सीआईडी के पुलिस अधीक्षक द्वारा यह जानकारी दी गई है।



File
19.11.13
A/C (T.W.)
A/C (T.W.)